

No.DCI/Acad/MDS/Gen/Ors/14/2024-25/2024/8514

दिनांक: 13-03-2024

The Principals/Heads of all the Dental Colleges in the Country. (via Email & Speedpost)

विषय: स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अनुमति के नवीनीकरण हेतु आवेदन - बाबत।

Sub: Application for Renewal of permission in Post Graduate - Regarding.

महोदय

To,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारतीय दन्त परिषद (नए डेंटल कॉलेज की स्थापना, अध्ययन या प्रशिक्षण के नए या उच्च पाठ्यक्रम का उद्घाटन और डेंटल कॉलेज में प्रवेश क्षमता में वृद्धि) विनियम, 2006 के प्रावधान के अनुसार, जिन संस्थानों के पीजी कोर्स नवीनीकरण होने वाले हैं, 30 अप्रैल तक डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया को पीजी पाठ्यक्रमों के नवीनीकरण की अनुमति के लिए अपना आवेदन जमा करना होगा।

तद्नुसार, सभी दन्त महाविद्यालयों को एतद्वारा निदेश दिया जाता है कि वे भारतीय दन्त परिषद (नए डेंटल कॉलेज की स्थापना, अध्ययन या प्रशिक्षण के नए या उच्च पाठ्यक्रम का उद्घाटन और डेंटल कॉलेज में प्रवेश क्षमता में वृद्धि) विनियम, 2006 (14वां संशोधन), में निर्धारित अपेक्षित शुल्क (Rs.1,77,000/- (1,50,000 + 18% GST) प्रति विषय) और अन्य आवश्यक दस्तावेज आदि के साथ इस प्रयोजन के लिए डीसीआई को बिना किसी देरी के आवेदन करें ताकि इस परिषद को डीसीआई विनियम, 2006 के अनुसार नवीनीकरण के अनुरोध को समय पर संसाधित करने में सक्षम बनाया जा सके, ऐसा न करने पर, संबंधित डेंटल कॉलेज से आवेदन प्राप्त न होने की स्थिति में डीसीआई एमडीएस पाठ्यक्रमों के नवीनीकरण के लिए निरीक्षण नहीं करेगा और न ही डीसीआई ऐसे विलंब और उसके परिणामों के लिए जिम्मेदार होगा।

Sir,

I am directed to say that as per provision of the Dental Council of India (Establishment of New Dental College, Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity in Dental College) Regulations, 2006, the Institutions whose renewal for PG course are due, shall submit their application for renewal permission for PG courses to the Dental Council of India by 30th April.

Accordingly, all the Dental Colleges are hereby directed to apply to DCI without any delay, for the purpose, alongwith requisite fee (Rs.1,77,000/- (1,50,000 + 18% GST) per subject) as prescribed in Dental Council of India (Establishment of New Dental College, Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity in Dental College) Regulations, 2006 (14th Amendment), and other requisite documents etc. so as to enable this Council to process the request of renewal in time as per DCI Regulations, 2006, failing which, the DCI shall not inspect for renewal of MDS courses in case of non-receipt of application from the concerned dental college nor the DCI will be responsible for such delay and consequences thereof.

भवदीय / Yours faithfully,

विनय गुप्ता (Vinay Gupta) उप सचिव / Deputy Secretary भारतीय दंत परिषद / Dental Council of India

प्रतिलिपि / CC:-

- 1. अध्यक्ष, भारतीय दंत परिषद, नई दिल्ली / The President, Dental Council of India, New Delhi
- 2. Website/Server Section